HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc suspension of sentence Application No. 1060/2026

IN

S.B. Criminal Appeal No. 1130/2026

Ramrakesh Meena Alias Ram Meena S/o Shambhudayal, R/o Kumhariyan, Police Station Ayana, District Kota Rural, Currently Tenant At House No. B-2, Sector-4, Keshavpura, Police Station Mahaveer Nagar, Kota (Raj.)

----Appellant/Accused

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Pradeep Mathur Mr. Deepen Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP
For Complainant(s)	:	None Present

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

Order

08/06/2026

सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 1060/2026 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अपील विद्वान विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, क्रम 3, कोटा द्वारा विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या 116/2024 में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 08.05.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 354 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/– रुपए का अर्थदंड तथा अर्थदंड का संदाय न करने पर 1 माह के कठोर करावास तथा

5,000/– रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है तथा 50,000/– रुपए अतिरिक्त प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंषा की है।

अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में जमानत पर था, उसे केवल मात्र 3 वर्ष के कठोर कारावास के अपराध से दंडित किया गया है। उसके विरुद्ध बलात्कार किए जाने के अपराध का आरोप नहीं है, केवल मात्र छेड़छाड़ करने के अपराध का आरोप है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व दंडादेश दिनांक 08.05.2026 को अपील के निर्णय तक स्थगित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए उक्त सजा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अपीलार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध का आरोप है। अपीलार्थी/अभियुक्त का पूर्व में विद्वान विचारण न्यायालय से जमानत पर होना बताया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/– रुपए के अर्थदंड, अर्थदंड का संदाय नहीं करने पर 1 माह का कठोर करावास से दंडित किया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) के अंतर्गत विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा पारित अतिरिक्त प्रतिकर की राशि में से 25,000/– रुपए पीड़िता को अदा कर देता है तथा यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **08.07.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 08.05.2026** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे।

यदि अपीलार्थी/अभियुक्त अपील में दोषमुक्त होता है तो उक्त 25,000/– रुपए की राशि पीड़िता अपीलार्थी/अभियुक्त को न्यायालय के आदेशानुसार अदा कर देगी, इस आशय की अंडरटेकिंग पीड़िता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उक्त 25,000/– रुपए की राशि को बाद रसीद नियमानुसार पीड़िता को अदा कर दी जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

KISHAN SONI/207